पृष्ठ-संख्या--178

रजि0 नं0 एल डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं0 डब्लू पी--41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 23 अप्रैल, 1994

वैशाख 3, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 718/17-वि-1-1(क)14-1994

लखनऊ, 23 अप्रैल, 1994

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1994 पर दिनांक 22 अप्रैल, 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 1994

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1994)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायगा।

(2) यह 23 अगस्त, 1992 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 10 सन् 1939 की धारा 10-क का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 10-क में, उपधारा (1) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष" रख दिये जायेंगे।

विधिमान्यकरण

3—मूल अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 10-क के अधीन नियुक्त नियंत्रक को, जो 28 अगस्त, 1992 के ठीक पूर्व आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बी चिकित्सा प्रणाली बोर्ड, उत्तर प्रदेश की शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, तब तक नियंत्रक के रूप में विधिमान्यतः निरन्तर नियुक्त समझा जायेगा, जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उपर्युक्त धारा के अधीन नियन्त्रक के रूप में नियुक्त न कर दिया जाय और 28 अगस्त, 1992 को या उसके पश्चात् किसी समय ऐसे नियन्त्रक द्वारा कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य होगी, मानो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
सचिव।

No. 713 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-14-1994

Dated Lucknow, April 23, 1994

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhartiya Chikitsa (Sanshodhan) Adhiniyam, 1994 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 1994) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 23, 1994.

THE UTTAR PRADESH INDIAN MEDICINE (AMENDMENT) ACT, 1994

(U.P. Act no. 10 of 1994)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Indian Medicine Act, 1939.

It is hereby enacted in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Indian Medicine (Amendment) Act, 1994.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 28, 1992.

Amendment of section 10-A of U. P. Act no. 10 of 1939

2. In section 10-A of the United Provinces Indian Medicine Act, 1939, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "two years" the words "four years" shall be *substituted*.

Validation

3. Notwithstanding anything contained in the principal Act, the Controller appointed under section 10-A of the principal Act and exercising the powers, performing the functions and discharging the duties of the Board of Ayurvedic and Unani Tibbi Systems of Medicine, Uttar Pradesh immediately before August 28, 1992, shall be deemed to have validly continued to be appointed as Controller until another person is appointed as Controller under the aforesaid section and anything done or any action taken by such Controller at any time on or after August 28, 1992 shall be valid as if the provisions of the principal Act as amended by this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०— ए०पी० 30 सा० विधा०—(193)—1994—850 (मेक०)।